न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 34/2025

GCMS No. : 2025/162

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
जरिये सरकार भुराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		1. विनोद कुमार पुत्र लालचंद जाति सुनार निवासी रामदेव रोड पाली मैसर्स विनोद ट्रेडिग कम्पनी 14 विवेकानन्द नगर रामदेव रोड पाली

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51"

उपस्थित :–

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र नारायण ओझा उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः 26/09/2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वक्त बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 03.07.2024 को दौराने गश्त अप्रार्थी की दुकान मैसर्स विनोद ट्रेडिग कम्पनी 14 विवेकानन्द नगर रामदेव रोड़ पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। प्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम विनोद पुत्र लालचंद बताया एवं स्वंय को दुकान का मालिक होना बताया। दुकान के निरीक्षण के दौरान दुकान में 500 एमएल के लगभग 10 से 15 कार्टुन घी ब्राण्ड बाबा के रखे हुये थे। जिसे अप्रार्थी ने आमजन को विक्रय हेतु रखा था, जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने घी ब्राण्ड बाबा का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की, जिसके लिए मैने दो प्रतियों में प्रपत्र 5ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

की। स्वतंत्र गवाह नहीं होने कि स्थिति में मेरे साथ आये आन्नद कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया एवं अप्रार्थी को बता दिया की घी ब्राण्ड बाबा का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में घी ब्राण्ड बाबा के 500–500 एमएल के चार पैकेट वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 836/– रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा घी ब्राण्ड बाबा के पैकेट को नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर–2376 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार की एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। मौके पर अप्रार्थी ने घी बाबा ब्राण्ड के खरीद से संबंधित दस्तावेज मांगने पर किसी प्रकार के दस्तावेज पेश नहीं किये। अप्रार्थी की दुकान से लिया गया घी ब्राण्ड बाबा का नमुना संख्या आर–2376 के संबंध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/994/एक्ट/2024/1046 दिनांक 16.07.2024 के अनुसार Sub-standard (अवमानक) पाया गया। जिसकी प्रति अप्रार्थी को जरिये डाक भिजवाकर सुचित किया कि वह उक्त नमुने की जाचं पुनः करवाना चाहते है तो 30 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते है। जिस पर अप्रार्थी के आवेदन पर उक्त नमुना की पुनः जांच हेतु रेफरेल फुड प्रयोगशाला मेसुर भेजा गया जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड बाबा Sub-standard (अवमानक) पाया गया इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Sub-standard (अवमानक) घी ब्राण्ड बाबा का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने लिखित जवाब एवं वक्त बहस प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी की फर्म से घी ब्राण्ड बाबा का नमुना लेते समय खाद्य

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

सुरक्षा मानक के अनुसार सेम्पल नहीं लिया है, जो विधि के अनुसार औचित्यहिन है। क्योकि जिस अधिकारी द्वारा प्रकरण न्यायालय में पेश किया है वह किस हेसियत से पेश किया उसके संबंध में पत्रावली में किसी प्रकार के दस्तावेज पेश नहीं होने से प्रकरण न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को सेम्पल घी ब्राण्ड बाबा की पुनः जाचं हेतु अवसर नहीं देकर बहुमूल्य अधिकार से वंचित किया है। अप्रार्थी ने घी ब्राण्ड बाबा की जो कि पैक पैकेट में था, उसका सेम्पल लिया था जिसका उत्पादन अप्रार्थी द्वारा नहीं किया जाता है जिस अवस्था में थोक विक्रेता से खरीद किया जाता है उसी अवस्था में आमजन को विक्रय किया जाता है जिसमें अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को प्रकरण से संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये जिससे अप्रार्थी को अपना पक्ष रखने एवं पुनः जांच करवाने के अधिकार से वंचित किया अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम विरूद्ध होने से खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता अप्रार्थीगण की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 03.07.2024 को अप्रार्थी की दुकान मैसर्स विनोद ट्रेडिग कम्पनी 14 विवेकानन्द नगर रामदेव रोड पाली से घी ब्राण्ड बाबा वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–2376 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये घी ब्राण्ड बाबा का नमुना कोड संख्या आर–2376 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर भिजवाया गया, जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की दुकान से लिया गया घी ब्राण्ड बाबा का नमुना Sub-standard (अवमानक) पाया गया, जिसकी प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से अप्रार्थीगण को भिजवायी गयी जिस पर विनोद कुमार ने प्रार्थना पत्र पेश कर नमूना घी की पुनः जांच हेतु आवेदन करने पर नियमानुसार प्रक्रिया अपना कर पुनः जांच हेतु रेफरेल खाद्य प्रयोगशाला मेसुर भिजवाया गया, जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त घी ब्राण्ड बाबा Sub-standard (अवमानक) पाया गया जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को अपना जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये थे एंव उक्त जाचं रिपोर्ट कि जानकारी भी अप्रार्थी विनोद को भलीभांति थी। प्रार्थी ने नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए प्रकरण न्यायालय के समक्ष पेश किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की दुकान से घी ब्राण्ड बाबा का सेम्पल लेते समय नियमानुसार खाद्य सुरक्षा नियमों के मानको को अपनाते हुए सेम्पल लिया एवं खाद्य

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

सुरक्षा प्रयोगशाला जोधपुर एवं रेफरेल लैब मेसुर भिजवाया गया जिसमें किसी प्रकार के नियमों की अवहेलना नहीं पायी गयी। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी ने अवमानक स्तर के घी ब्राण्ड बाबा का विक्रय/वितरण किये जाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Sub-standard (अवमानक) घी ब्राण्ड बाबा का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 1,00,000/–रूपये अक्षरे एक लाख रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रार्थी उक्त आदेश की पालना 1 माह में करवाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26/09/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ बजरंग सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली